


Date Noted  
13-12-12  
C.F. 13-12-12



122

निगरानी प्र. क्रमांक- / 2012  
प्रस्तुत दिनांक 27/1/2012

न्यायालय-रा. रा. माननीय रा. स्व मंडल, महोदय, राजस्व  
न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

दयाराम पिता श्री बनसिंह,  
जाति-हरिजन, आयु-65 वर्ष, धंधा-कृषि,  
निवासी- कोदवार खुर्द, तह. बडवाह  
जिला खरगौन (म.प्र.)

.....आवेदक/प्राथी

R-4127-PBR-112

विरुद्ध

श्री राजेश परिवार  
अभिभाषक द्वारा  
आज दिनांक 27-11-12 को  
बेस पर प्रस्तुत।  
27-11-12

1. गोपाल पिता छीतु गवली,  
निवासी-कोटवार बुजुर्ग, जिला खरगौन
2. खुमानसिंह पिता कमलसिंह भिलाला  
निवासी-सदर।
3. प्रकाश पिता बालु हरिजन  
निवासी-ग्राम कोदवार खुर्द जिला खरगौन(म.प्र.)
4. श्रीमती नवलीबाई (मृत) पति प्रेमा सिर्वा  
निवासी-कोदवार खुर्द जिला खरगौन तर्फे वारिसान
1. यशवंत पिता न्यागर सिर्वा, आयु-35 वर्ष  
निवासी-कोदवार खुर्द जिला खरगौन
2. कालु पिता न्यादर सिर्वा, आयु-32 वर्ष  
निवासी-कोदवार खुर्द जिला खरगौन
3. राजेश पिता न्यादर सिर्वा, आयु- 30 वर्ष  
निवासी-कोदवार खुर्द जिला खरगौन
4. सुखीबाई पति न्यादर आयु-60 वर्ष  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन
5. राजेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह भिलाला, आयु- 25 वर्ष  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन
6. कमलसिंह पिता अंगालाल भिलाल, आयु- 40 वर्ष  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन

4-12-12

अविरत.....2

7. जगन पिता बाबु हरिजन आयु-37 वर्ष लगभग,  
निवासी-कोदवार खुर्द जिला खरगौन
8. रवाकसिंह पिता प्यारसिंह भिलाला  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन
9. बद्री पिता श्री प्यारसिंह भिलाला आयु- 35 वर्ष  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन
10. राधेश्याम पिता छतरसिंह भिलाला आयु-28 वर्ष  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन
11. दौलतसिंह पिता छतरसिंह भिलाला, आयु-55 वर्ष  
निवासी-कोदवार बुजुर्ग जिला खरगौन
12. हरेसिंह पिता श्री देवीसिंह भिलाला, आयु- 25 वर्ष  
निवासी-ग्राम कोदवार बुजुर्ग, तहसील बडवाह  
जिला खरगौन (म.प्र.) .....अनावेदकगण/प्रतिप्रार्थीगण

### निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक/प्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि -

यह निगरानी माननीय अधीनस्थ न्यायालय, नायब तहसीलदार महोदय, बडवाह के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक-2/अ-13/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2012 से व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

### निगरानी के आधार

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य अंतरिम आदेश न्याय निति एवं विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त व अपास्त होने योग्य हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4127-पीबीआर/12

जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 में लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p style="text-align: left;">[Handwritten Signature]</p>	